Polity

वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)

[Annual Financial Statement (Budget)]

अनुच्छेद 112 'वार्षिक वित्तीय विवरण' अथवा 'बजट' के बारे में है। (2017 के पूर्व भारत में दो तरह के बजट पेश किये जाते थे.

Article 112 is about the 'Annual Financial Statement' or 'Budget' (Before 2017, two types of budgets were presented in India -

Art. 112 → परिभाषा (Definition) → वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)

⇒ वित्त मंत्री द्वारा प्रत्येक वित्तीय प्रत्येक (every financial year) (1 April - 31 March)

→ बजट को राष्ट्रपति के कहने पर लोकसभा में पेश किया जाता है।

→ बजट ← आय (Income)
व्यय (expenceses)

→ पहले रेल बजट और आम बजट को अलग-अलग पेश किया जाता था।

→ 2017 में इन दोनों (रेल + आम बजट) का विलय (Merge) करके 'आम बजट' नाम दिया गया।

⇒ भारतीय बजट का पिता → जेम्स विल्सन (1860 में भारत का पहला बजट पेश)

⇒ स्वतंत्र भारत का बजट पेश → आर० के० षणमुखम् चेट्टी

⇒ गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश → जॉन मथाई

⇒ बजट पेश करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री ⇒ इंदिरा गांधी

⇒ भारत की पहली पूर्णकालिक (full tenure) महिला वित्त मंत्री ⇒ निर्मला सीतारमण

⇒ सबसे अधिक बार बजट पेश ⇒ मोरारजी देसाई (10 बार)

II nd ⇒ निर्मला सीतारमण (7 बार)

रेल बजट तथा आम बजट वर्ष 2017 में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया बजट में भारत सरकार की - आगामी वर्ष में आय और व्यय का विवरण तथा सरकार की वित्तीय नीतियों का उल्लेख होता है।

Railway Budget and General Budget In the year 2017, the Railway Budget was merged into the General Budget by the Narendra Modi Government. The budget Contains details of the income and expenditure

of the Government of India for the Coming year and the financial policies of the government.

विनियोग विधेयक [Appropriation Bill]

अनु॰ 114 में कहा गया है कि संचित निधि से कोई धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं।

Article 114 States that no money can be withdrawn from the Consolidated Fund of India except through an Appropriation Bill.

भारत की संचित निधि → Control (नियंत्रण) → संसद → अनुमति (Permission)

प्रश्न काल [Question Hour]

कार्यवाही का प्रथम घण्टा (दोपहर 11 से 12 बजे तक) प्रश्न काल होता है राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के मामले पर जानकारी के लिए मंत्रिपरिषद् से प्रश्न पूछा जाता है।

The first hour of the proceedings (from 11 am to 12 noon) is Called Question Hour. Questions are asked to the Council of ministers for information on all

kinds of National and international matters.

कौन प्रश्न पूछता है? ⇒ MP
प्रश्न किससे पूछा जाता है ⇒ मंत्री (minister)

यह प्रक्रिया सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में (1721 में) शुरू हुई थी। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में शुरू हुई थी।
This process was first started in England (in 1721.) In India. the process of asking parliamentary questions was first started in the Indian Council Act of 1892.

(i) तारांकित प्रश्न (Stared Question)
* ↳ उत्तर (मौखिक)

(ii) अतारांकित प्रश्न (Unstared Question)
↳ उत्तर → लिखित (written)

(iii) अल्प सूचना प्रश्न (Short Notice Questions)
अल्प सूचना प्रश्न का सम्बन्ध किसी लोकमहत्व के तात्कालिक मामले से होता है;
Short notice question relates to an immediate matter of public importance;

शून्यकाल (Zero Hour) → 12-1 00:00-1

प्रश्न काल के तुरन्त बाद का एक घण्टे का समय शून्य काल कहा जाता है इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है इसे 'प्रश्न-उत्तर सत्र' भी कहा जाता है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में 'शून्यकाल' शब्द का उल्लेख नहीं है।

The one hour time immediately following the Question Hour is called Zero Hour. In this any question of public importance can be raised without prior notice. It is also called 'Question-Answer Session'.) The term 'Zero Hour' is not mentioned in the Indian parliamentary procedure.

चूंकि यह समय ठीक दोपहर 12 बजे (00 बजे) आरम्भ होता है अतः मीडिया द्वारा इसे शून्य काल नाम दे दिया गया है। इस प्रकार संसदीय व्यवस्था में शून्य काल भारत की देन है। इसका आरम्भ 1962 में किया गया तथा वर्तमान में शून्य काल के दौरान कुल 20 मामले उठाये जा सकते हैं.

Since this time starts exactly at 12 noon (00'0 clock) the media has named it Zero Hour. Thus, Zero Hour is India's Contribution to the parliamentary system. It was started in 1962 and currently a total of 20 Cases be raised during Zero Hour.

अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion)

भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ ही जुड़ा हुआ है इसे लोकसभा में विपक्षी दल या विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

No-Confidence motion is not mentioned in the Constitution of India. No-Confidence motion is associated only with the proceedings of the Lok Sabha. It is presented by the opposition party or opposition parties in the Lok Sabha.

(LS) → बहुमत प्राप्त (दल)
↳ सरकार

अविश्वास प्रस्ताव ⇒ किसके विरुद्ध पेश → सत्ताधारी दल (Ruller Party)
↳ सरकार के

⇒ पेश कौन ⇒ विपक्षी दल
(opposition Party)

इसे LS में पेश करने के लिए LS के 50 सदस्यों का समर्थन (Support) आवश्यक है।

⇒ अगर लोक सभा से पारित हो जाता है तो PM सहित मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है।

लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का अनुसमर्थन आवश्यक है इस प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट किया जाता है

The no-Confidence motion must be ratified by at least 50 members of the Lok Sabha. This motion expresses no Confidence in the Council of Ministers.

प्रस्ताव पर विचार - विमर्श पूर्ण होने के पश्चात् अध्यक्ष उसे लोकसभा में मतदान हेतु रखता है, और यदि लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।

After the discussion on the proposal is Completed, the Speaker puts it to Vote in the Lok Sabha, and if this proposal is passed in the Lok Sabha then the Council of Ministers has to resign.

Majority (बहुमत) → LS में

सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू मंत्रिपरिषद के विरूद्ध 1963 में आचार्य कृपलानी द्वारा लाया गया था।

The first no-Confidence motion was brought against the Jawaharlal Nehru Cabinet by Acharya Kripalani in 1963.
⇒ आज तक यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ
⇒ अब तक 28 बार आ चुका है।

संसदीय समितियां (Parliamentary Committees)

भारतीय संसद का बहुत सा काम सदन की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समितियां वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य व अभिन्न अंग हैं संसदीय समितियां एक प्रकार से 'लघु संसद' के रूप में कार्य करती हैं
Much of the work of the Indian parliament is done by the Committees of the House, which are called parliamentary Committees. parliamentary Committees are an indispensable and integral part of the current system. parliamentary Committees function as a kind of 'mini parliament'

समितियां - 2 प्रकार
स्थायी समितियां (Permanent Committee) ↳ जो हमेशा कार्य करती है।
तदर्थ समितियां (Adhoc Comm.) ⇒ विशेष कार्य के लिए बनायी जाती है और कार्य समाप्त होने पर, समाप्त हो जाती है।